रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 2003/आश्विन 14, 1925
No. 483] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2003/ASVINA 14, 1925

वित्त मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2003

सा०का०नि० 784(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 14 की उपधारा (1) और धारा 10 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "आयोग" से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ;

(2) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. **वेतन-** (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को प्रतिमास छब्बीस हजार रुपए (नियत) वेतन का संदाय किया जाएगा ।

(2) यदि अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के समय ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, सरकार या किसी स्थानीय निकाय या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले प्राधिकरण या किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे वेतन में से पेंशन की रकम और किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य रकम को कम कर दिया जाएगा ।

4. **अभिदायी भविष्य निधि-** (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्य अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के उपबंधों से शासित होंगे और उन्हें साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के अधीन अभिदाय करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा ।

(2) आयोग में सेवा करने के लिए कोई अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा ।

5. **मंहगाई भत्ता और प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता-** अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' पद धारण करने वाले समतुल्य वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर मंहगाई भत्ता और प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

6. **छुट्टी** - (1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की अर्जित छुट्टी के हकदार होंगे ।

(2) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा ।

(3) अध्यक्ष और अन्य प्रत्येक सदस्य, किसी भी समय उनके खाते की सभी अर्जित छुट्टियों के पचास प्रतिशत को भुनाने के हकदार होंगे ।

7. **यात्रा और दैनिक भत्ते-** आयोग के अध्यक्ष और अन्य प्रत्येक सदस्य, जब वे भारत के भीतर भ्रमण पर हों या उनका स्थानांतरण हो, (इसके अंतर्गत आयोग में पदभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या आयोग में उनके कार्यकाल के संपन्न होने पर उनके गृह नगर को जाने के लिए की गई यात्रा भी है) उन दरों पर यात्रा भत्तों, दैनिक भत्तों, निजी सामान के परिवहन और अन्य समान मामलों के लिए, हकदार होंगे, जो केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' में पद धारण करने वाले समतुल्य वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों को लागू हैं ।

8. **शासकीय विदेश यात्रा-** अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा शासकीय विदेश यात्रा केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार की जाएगी और ऐसी यात्राओं की बाबत, वे ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' में पद धारण करने वाले समतुल्य वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों को लागू हैं ।

9. **छुट्टी यात्रा रियायत-** आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' में पद धारण करने वाले समतुल्य वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों को लागू दरों पर छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

10. **प्रवहण सुविधाएं-** (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष और अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' में पद धारण करने वाले समतुल्य वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों को उपलब्ध प्रवहण सुविधाओं के समतुल्य प्रवहण सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

(2) आयोग द्वारा कोई यात्री यान क्रय नहीं किया जाएगा और यानों की आवश्यकता किराए पर लेकर पूरी की जाएगी ।

11. **चिकित्सीय उपचार के लिए सुविधा-** अध्यक्ष और अन्य सदस्य चिकित्सीय उपचार और उन अस्पताल सुविधाओं के लिए हकदार होंगे जो किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) में उपलब्ध कराई जाती हैं । उन स्थानों पर जहां, उक्त स्कीम लागू नहीं है, अध्यक्ष और अन्य सदस्य उन सुविधाओं के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 में उपबंधित है ।

12. सेवा की अन्य शर्तें- अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित ऐसे विषय, जिनकी बाबत इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे और उन पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

[फा० सं० 1/10/2003-सी०एल०-V]
राजीव महर्षि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2003

G.S.R. 784(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 63, read with sub-section (1) of section 14, of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules regulating the salary and allowances payable to, and other terms and conditions of service of, Chairperson and Members of the Competition Commission of India, namely: -

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. -** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission appointed under sub-section (1) of section 8 of the Act;

(c) "Commission" means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act;

(d) "Member" means a Member of the Commission appointed under sub-section (1) of section 8 of the Act and includes the Chairperson.

(2) All other words and expressions used in these rules but not defined, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Pay.** – (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Chairperson and every Member shall be paid a salary of twenty six thousand rupees (fixed) per mensem.

(2) If such person at the time of his appointment as Chairperson or other Member is in receipt of a pension in respect of any previous service under the Government or any local body or authority owned or controlled by the Government, or a High Court, or the Supreme Court, as the case may be, such salary shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits.

4. **Contributory Provident Fund.** - (1) The Chairperson and other Members shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 and no option to subscribe under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 shall be available.

(2) No additional pension and gratuity shall be admissible for service rendered in the Commission.

5. **Dearness Allowance and Compensatory (City) Allowance.** - The Chairperson and every other Member shall be entitled to draw dearness allowance and compensatory (city) allowance at the rates admissible to officers holding Group 'A' post of the Central Government drawing an equivalent pay.

6. **Leave.** – (1) The Chairperson and every other Member shall be entitled to thirty days of Earned Leave for every year of service.

(2) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(3) The Chairperson and every other Member shall be entitled to encashment of fifty per cent of Earned Leave standing to their credit at any time.

7. **Travelling and Daily Allowances.** - The Chairperson and other Members of the Commission while on tour within India or on transfer (including the journey undertaken to join the Commission or on the completion of their tenure with the Commission to proceed to their home town) shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same rates as are applicable to officers holding Group 'A' post of the Central Government drawing an equivalent pay.

8. **Official visits abroad.** – Official visits abroad by the Chairperson or Members shall be undertaken only in accordance with orders issued by the Central Government and they shall be entitled to draw such allowances in respect of such visits as are applicable to officers holding Group 'A' post of the Central Government drawing an equivalent pay.

9. **Leave Travel Concession.** - The Chairperson and other Members of the Commission shall be entitled to Leave Travel Concession (LTC) at the same rates as may be applicable to officers holding Group 'A' post of the Central Government drawing an equivalent pay.

10. **Conveyance Facilities.** - (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Chairperson and other Members shall be entitled to conveyance facilities at par with those available to officers holding Group 'A' post of the Central Government drawing an equivalent pay.

(2) No passenger vehicle shall be purchased by the Commission and the requirement of vehicles shall be met by hiring.

11. **Facility for Medical Treatment.** - The Chairperson and other Members shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Government Health Scheme (CGHS) to a retired Government servant. At places where the said Scheme is not in operation, the Chairperson and other Members shall be entitled to the facilities as provided in the Central Service (Medical Attendance) Rules, 1944.

12. Other Conditions of Service. - Matters relating to the terms and conditions of service of the Chairperson or other Members with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Commission to the Central Government for its decision, and the decision of the Central Government thereon shall be final.

[F. No. 1/10/2003-CL-V]

RAJIV MEHRISHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.